

## अध्याय I : भूमिका

### 1.1 प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय और इसके निम्नलिखित संगठनों में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा में उठे मामलों से संबंधित है:-

- थल सेना;
- अन्तर्सेवा संगठन;
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और प्राथमिक रूप से थल सेना और आयुध फैक्ट्रियों को समर्पित उसकी प्रयोगशालाए;
- रक्षा लेखा विभाग;
- आयुध फैक्ट्रियां और,
- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के विषय का स्तर लेन-देन की मात्रा और विस्तार के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा की जाँच के परिणाम से अपेक्षा है कि कार्यकारिणी उपचारात्मक कार्यवाही से ऐसी नीति और निर्देश बनाए जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन को सुधारा जा सके, इस प्रकार अच्छे प्रबंधन और उन्नत सामरिक तैयारी करने में सहायता मिलेगी।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार की व्याख्या के अतिरिक्त विशिष्ट लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश है इसके पश्चात उपरोक्त संगठनों के व्ययों पर संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है। तदोपरांत अध्यायों में मंत्रालय और उपरोक्त संगठनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन समीक्षाओं से निकली विस्तृत उपलब्धियां और आपत्तियां प्रस्तुत हैं।

### 1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

रक्षा मंत्रालय शीर्ष स्तर पर रक्षा संबंधी सभी मामलों पर नीति निर्देश बनाता है। यह चार विभागों में विभाजित है, जैसे रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, अनुसंधान एवं विकास विभाग और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। प्रत्येक विभाग का मुखिया एक सचिव होता है। रक्षा सचिव जो कि रक्षा विभाग का मुखिया होता है, अन्य विभागों के कार्यकलापों के साथ भी समन्वय करता है।

थल सेना का प्राथमिक उत्तरदायित्व बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा और देश की प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा करना है। यह प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक अशान्ति के समय भी सिविल प्राधिकारियों की मदद करती है। इसलिए थल सेना के लिए आवश्यक है कि वह उचित तरीके से सुसज्जित, आधुनिक हो और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करे।

डीआरडीओ की प्राथमिकता अपनी प्रयोगशाओं की श्रृंखला के माध्यम से भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में वृद्धि हेतु अनुसंधान एवं विकास करना है। यह वैमानिकी, शस्त्र, युद्धक वाहनों, इलेक्टॉनिक, उपकरणों, अभियांत्रिकी प्रणाली, मिसाइलों, सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कम्प्यूटिंग, अनुरूपण और जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करता है।

अन्तर्सेवा संगठन जैसे सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं, सैन्य इंजीनियरी सेवाएं (एम. ई. एस.), रक्षा संपदा, गुणवत्ता आश्वासन इत्यादि रक्षा बलों के तीन संभागों थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सेवार्थ हैं। ये सामान्य संसाधनों के विकास एवं रखरखाव के लिए इष्टतम लागत-प्रभावी सेवाएं देने के लिए उत्तरदायी हैं। ये सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसका प्रमुख महानिदेशक, आयुध निर्माणियाँ होता है। उन्तालिस आयुध फैक्ट्रियां सैन्य बलों के लिए आयुध भंडार के उत्पादन और उसकी आपूर्ति के लिए उत्तरदायी हैं।

सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र उपक्रम (डी पी एस यू) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत कुल नौ डी पी एस यू हैं जिनके मुखिया चैयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं।

### 1.3 एकीकृत वित्तीय सलाह एवं नियंत्रण

रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाओं की एक पूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। रक्षा मंत्रालय में पूर्ण एकीकृत वित्त विभाग के साथ सचिव (रक्षा वित्त) और उनके अधिकारीगण लोक निधि से हुए व्यय से संबंधित सभी प्रस्तावों की जाँच करते हैं। सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाओं को सभी स्तरों पर वित्तीय सलाह प्रदान करने और रक्षा व्यय के राजकोषीय नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है।

रक्षा सेवाओं के मुख्य लेखाकंन अधिकारी होने के नाते सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा व्यय की आंतरिक लेखापरीक्षा व लेखाकंन हेतु भी उत्तरदायी है। यह दायित्व रक्षा लेखा विभाग, जिसका मुखिया महानियंत्रक रक्षा लेखा होता है, के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।

## 1.4 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

हमारे लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 से लिया गया है। हम सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम के सेक्शन 13<sup>1</sup> के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। प्रमुख छावनी बोर्ड इस अधिनियम के सेक्शन 14<sup>2</sup> के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए जाते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के नियम और प्रणालियां “लेखापरीक्षा और लेखा अधिनियम, 2007” में निहित हैं।

## 1.5 लेखापरीक्षा का नियोजन एवं संचालन

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरे संगठन के जोखिम के मूल्यांकन और प्रत्येक यूनिट पर किए गए व्यय, कार्यकलाप की समीक्षा और जटिलता, दी गई वित्तीय शक्तियों का स्तर, संपूर्ण आंतरिक नियंत्रण और स्टैकहोल्डर के बारे में मूल्यांकन से प्रारंभ होती है। पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा पर निर्णय लिया जाता है। लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम मूल्यांकन के आधार पर बनाई जाती है।

प्रत्येक यूनिट की लेखापरीक्षा समाप्त होने के पश्चात् उसके परिणाम स्थानीय नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एल टी ए आर) के माध्यम से यूनिट प्रमुख को जारी किए जाते हैं। यूनिटों से लेखापरीक्षा जाँच परिणाम का उत्तर एल टी ए आर प्राप्त होने के एक माह के भीतर देने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा टिप्पणियां या तो निपटा दी जाती हैं अथवा अनुपालन हेतु आगे कार्यवाही की सलाह प्रदान कर दी जाती है। इन एल टी ए आर में से महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। 2013-14 के दौरान 10,920<sup>3</sup> लेखापरीक्षा-दिवस लगाकर 732<sup>4</sup>

<sup>1</sup> (i) भारत की समेकित निधि से हुए सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखों से संबंधित लेन-देन (iii) सभी व्यापार, उत्पादन, लाभ एवं हानि लेखों और तुलन-पत्रों एवं अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा।

<sup>2</sup> भारत की समेकित निधि या किसी भी राज्य या किसी भी संघ शासित प्रदेश द्वारा निकायों या प्राधिकारियों जो बड़ी मात्रा में अनुदान या ऋण के द्वारा वित्त प्राप्त करते हैं, के प्राप्ति एवं व्ययों की लेखापरीक्षा

<sup>3</sup> कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, नई दिल्ली और कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्ट्रियां) कोलकाता द्वारा किए गए पार्टी-दिवसों की संख्या

<sup>4</sup> कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा नई दिल्ली और कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्ट्रियां) कोलकाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा की गई यूनिटों/फॉर्मेशनों की संख्या

यूनिटों/फॉर्मेशनो की लेखापरीक्षा की गई थी। हमारी लेखापरीक्षा योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण यूनिटों/फॉर्मेशनों, जिनमें जोखिम की संभावना ज्यादा हो, को उपलब्ध श्रमशक्ति संसाधनों द्वारा कवर किया गया है।

## 1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

जहाँ तक रक्षा क्षेत्र की लेखापरीक्षा का संबंध है, रक्षा मंत्रालय तथा सेवा संगठनों द्वारा की जाने वाली पूंजीगत और राजस्व अधिप्राप्तियाँ महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं। लेखापरीक्षा अपने पुराने प्रतिवेदनों में अधिप्राप्ति प्रक्रिया की कमियों को इंगित करता रहा है एवं रक्षा मंत्रालय ने निहित प्रक्रिया में सुधार के लिए कई प्रकार के उपाय किये हैं। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया ( डी पी पी) एवं रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डी पी एम) का आवधिक पुनरीक्षण बेहतर कार्यप्रणाली को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान प्रतिवेदन विशेष पैराशुट्स की अनुपलब्धता, भारतीय सेना द्वारा बीएमपी वाहन की आवश्यकता का गलत आकलन, छावनी बोर्ड की कार्यप्रणाली, सेना विमानन कोर, अत्यधिक भुगतान तथा विद्युत प्रभार की कम वसूली से होने वाली हानि, आर्डर परिवर्तन के दौरान ब्रास रोड की कम वसूली से होने वाली हानि, हथियार निर्माण करने वाली निर्माणीयों का उत्पादन तथा समान आदि के संचयन के कारण निधियों का अवरोध होना जैसे संबंधी मुद्दों/मामलों को भी उजागर करती है।

- भारत में छावनियाँ स्थायी सैन्य स्टेशन होते हैं जिनमें कि सैन्य टुकड़ियों की नियमित रूप से तैनाती की जाती है। देश में 62 अधिसूचित छावनी बोर्ड (सी बी) हैं। सी बी की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (दायित्व, शक्तियाँ एवं शर्तें) एक्ट 1971 की धारा 14(1) एवं (2) (सी ए जी के डी पी सी एक्ट 1971) के तहत की जाती है। प्रत्येक सी बी की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी ई ओ) द्वारा की जाती है जोकि बोर्ड के कार्यकारिणी संबंधी सभी कार्य करता है तथा बोर्ड के सदस्य सचिव की भी भूमिका निभाता है। वह महानिदेशक रक्षा संपदा (डी जी डी ई), नई दिल्ली को सूचित करता है। जनसंख्या के आधार पर सी बी को चार श्रेणियों में विभाजित किया है। छावनी में रह रहे व्यक्तियों कमियों को नगरीय सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सी बी को नगरपालिका का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान, सी बी क्लेमेंट टाँउन को छोड़कर 17 सी बी की जाँच नहीं हुई, नगर योजना स्कीम को तैयार एवं कार्यान्वयित किया, आर्थिक विकास एवं समाजिक न्याय हेतु अपने क्षेत्र में योजना बनाई। यहाँ तक की छावनी एक्ट के अनुसार अपने आवासियों को अनिवार्य रूप से दी जाने वाली 24 तरह की सेवाओं को किसी भी सी बी ने नहीं दिया। इसके बाद भी सी बी में निर्धन उम्मीदवारों की सहायता हेतु कोई केन्द्र सरकार की योजनाओं एवं आधारभूत संरचनाओं को छावनी में कार्यान्वित नहीं किया गया। राजस्व उत्पादन संबंधी स्थिति को भी प्रोत्साहित नहीं किया था, क्योंकि सी बी करों एवं गैर करों के माध्यम से

राजस्व उत्पादन में बढ़ोतरी करने में असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप रक्षा मंत्रालय से सहायता अनुदान पर इनकी निर्भरता बढ़ती गई। ऐसा होने के कारण थे हर पाँच वर्षों में करों का संशोधन न किया जाना, अनुबंधित दर से कम दर पर संपत्ति कर की वसूली करना तथा वाहन प्रवेश कर आदि का न लिया जाना। (पैरा 2.1)

- काम्बैट फ्री फॉल (सी एफ एफ) पैराशूट, उन पैराशूट (पी ए आर ए) विशेष बल (एस एफ) कर्मियों के लिए आवश्यक होता है जिनको इसकी आवश्यकता अति विशिष्ट परिचालन के दौरान होती है और यह किसी भी मिशन की सफलता के लिए प्रमुख है। सी एफ एफ पैराशूट आयात माध्यम से 1986 में अधिप्राप्त किए गए थे, जिनका शैल्फ जीवन 10 वर्ष का था, तथा वर्ष 2002 में परिचालन योग्य न रह जाने के कारण उन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया। यह पैराशूट डीआरडीओ द्वारा वर्ष 2006 में बनाया गया किंतु सफलतापूर्वक उत्पादित नहीं किया जा सका। भारतीय सेना का पैराशूट विशेष सेना बटालियन के पास एक दशक से भी अधिक से पैराशूट नहीं थे। उनके विकास तथा उत्पादन पर ₹10.75 करोड़ का व्यय हुआ गैर-लाभकारी सिद्ध हुआ। (पैरा 2.2)
- सेना विमानन कोर का निर्माण इस मुख्य उद्देश्य के साथ किया गया था कि फील्ड कमांडरों को निर्णायक युद्ध शक्तियों को लागू करने संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करके युद्ध क्षेत्र में सफलता के प्रति योगदान करें। दल हालांकि प्राधिकृत बेड़े की ताकत के विरुद्ध 32 प्रतिशत कमियों से त्रस्त था। उपलब्ध हेलिकॉप्टर भी पुराने तथा जीर्ण अवस्था में है तथा इनमें 52 प्रतिशत बेड़े 30 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। हेलिकॉप्टरों की निम्न स्तर की उपयोगिता ने आगे इनकी परिचालन हेतु प्रभावकारी उपलब्धता को प्राधिकरण की 40 प्रतिशत क्षमता तक कम कर दिया। इन कमियों के बावजूद सेना विमानन कोर ने अपने चीता/चेतक हेलिकाप्टरों के बेड़ों को जो टोह लेने तथा अवलोकन हेतु प्रयोग में लाए जा रहे थे का प्रतिस्थापित नहीं कर सके, जो कि 10 वीं योजना अवधि (2002-2007) से ही अनधिष्ठापन हेतु 11वीं तथा 12वीं सेवा पूंजी अधिग्रहण योजना, संविदा के संदर्भ में, अनुमोदित 18 योजनाओं के विरुद्ध, पिछले नौ वर्षों में अभी तक केवल चार योजनाओं को ही पूरा किया जा सका। अतः लक्ष्यों की प्राप्ति एवं अधिप्राप्ति योजना में विफलता तथा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में सुस्ती के मुख्य कारण थे जिसने दल को पुराने एवं जीर्ण दस्ते हेतु उपयुक्त प्रतिस्थापना अधिप्राप्त करने से रोका। (पैरा 3.1)
- पैदल सेना का लड़ाकू वाहन बी एम पी भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड पैदल सेना का मुख्य आधार है। यह वर्ष 1986 में टैंक के साथ कॉम्पलिमेंटरी वाहन के तौर पर सेवा में लाया गया। बी एम पी एक लड़ाकू वाहन टैंक है जो मूल रूप से रूस की उत्पत्ति है और वर्तमान में आयुध निर्माणी (ओ एफ) मेड़ाक

द्वारा निर्मित किया जाता है। 600 बी एम पी की क्षमता के विरुद्ध ओ एफ बी पिछले छः वर्षों के दौरान केवल 265 बी एम पी का ही उत्पादन कर सकी जिसके परिणामस्वरूप उपलब्ध क्षमता में 55 प्रतिशत की कमी आई। अतः आयुध निर्माणी मेडाक में बी एम पी के उत्पादन हेतु सुविधाओं को न बढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप न सिर्फ सेना को ₹ 1374 करोड़ मूल्य के 389 बी एम पी की आपूर्ति में विलम्ब हुआ बल्कि मैकनाइज बलों की परिचालन तैयारी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा आपूर्ति में विलम्ब होने के कारण ₹ 270.97 करोड़ पर अतिरिक्त ऋण/व्यय देना पड़ा। (पैरा 3.2)

- सेना ने टैंक टी-55 के लिए 432 इमेज इंटेसिफायर साइट्स की अधिप्राप्ति में 10 से भी अधिक वर्ष का समय ले लिया और इस समय तक टैंकों को अप्रचलित घोषित कर दिया गया तथा अनधिष्ठापन योजना के अनुसार इन टैंकों को वर्ष 2018-19 तक ही सेवा में रखा जाएगा। चूँकि, टैंक कमांडर टी-55 हेतु इमेज इंटेसिफायर साइट की अधिप्राप्ति में एक दशक से भी अधिक का विलम्ब होने तथा मांग-पत्र के निरस्त न होने के कारण ₹22.12 करोड़ की लागत के 432 साइट्स की अधिप्राप्ति हुई, यद्यपि सेना द्वारा उस विलम्बित चरण में कोई अधिप्राप्ति नहीं हुई थी। टैंक टी-55 के अप्रचलित घोषित कर दिए जाने के उपरान्त उनमें ₹9.22 करोड़ लागत के 180 साइट्स को कमान इकाईयों में दे दिया गया तथा ₹12.90 करोड़ लागत के 252 साइट्स अप्रैल 2014 से स्टॉक में थे। (पैरा 3.3)
- यद्यपि, गेरिसन इंजीनियर (जीई) का यह दायित्व है कि वह विद्युत आपूर्ति संस्था को अदायगी करने से पूर्व विद्युत बिलों पर जाँच को सुनिश्चित करे, किंतु हमने यह पाया कि जी ई की तरफ से आवश्यक जाँच को किए जाने में हुई विफलता से एवं पहले से ही स्वीकृत विद्युत शुल्क का समर्थन करने से ₹24.54 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान जीई द्वारा किया गया जिसे लेखापरीक्षा हेतु चुना गया। जी ई एस भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से ₹23.66 करोड़ लागत के विद्युत प्रभारों की वसूली करने में विफल रहा, जिसमें निजी पार्टियाँ भी शामिल हैं, जोकि मुख्यतः ऊर्जा एवं नियत शुल्कों की कम वसूली, बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब, खराब मीटरों आदि शामिल हैं। अत्यधिक अदायगी तथा कम वसूली से संबंधित यह कमियाँ एमईएस में आंतरिक नियंत्रण की अपर्याप्तता को रेखांकित करती हैं। (पैरा 4.1)
- चयनित छः हथियार विनिर्माण निर्माणियों ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) में उत्पादन की कुल कीमत का 11 प्रतिशत हथियारों, वाहनों तथा उपस्कर समूह के अंतर्गत योगदान दिया। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए छः निर्माणियों के निष्पादन को 25 सामरिक हथियार मर्दों जो 68 हथियार मर्दों की निर्माणियों की उत्पाद रेखा में

थी, कुल उत्पादन के 79 प्रतिशत के लिए जिम्मेदारी थी को पूरा किया। पाँच लक्ष्यों के साथ हमारी लेखापरीक्षा का उद्देश्य अपने ग्राहकों, मुख्य रूप से सशस्त्र बलों के लिए समय पर उत्पाद गुणवत्ता प्रदान करने के लिए बोर्ड की क्षमता पर एक राय बनाने का था। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान संशोधित लक्ष्य के विरुद्ध चयनित हथियारों के मुद्दे में कमी का कुल मूल्य ₹ 1479 करोड़ रहा। निर्माणियों में गिरावट का प्रमुख कारण इनपुट स्टोरों में विलम्ब का होना था। गुणवत्ता संबंधी दिक्कतों ने निर्माणियों में मूल्य, लक्ष्यों की प्राप्ति एवं उससे भी ऊपर बोर्ड की ख्याति तथा उसके उत्पादों के लिए अवरोध का काम किया। निर्माणियाँ स्टोरों की गुणवत्ता नियंत्रण को निर्धारित समय 15 दिनों के भीतर 40 से 63 प्रतिशत मामलों में पूरा नहीं कर सकी। सशस्त्र सेना के पास सुनिश्चित निधियों की उपलब्धता ने उनको उच्च निर्गम मूल्य पर ध्यान दिए बिना बोर्ड से उत्पादों को स्वीकार करने में सहायता दी। उपभोक्ताओं, सेना ने हथियारों में खराबी आने के कारण फील्ड यूनिटों में अविश्वास को पाया। बाद में एस क्यू ए ई द्वारा उसके गुणवत्ता निरीक्षण टिप्पणी में खराबियों के पुनः उत्पन्न होने की बात को पहले भी उजागर किया गया जो यह दर्शाता है इन टिप्पणियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा, स्वदेशीकरण में विलम्बता तथा कुछ सभा के लिए लगातार आयात पर निर्भर रहने से निर्माणियों के समक्ष अपनी मांगों को पूरा करने की चुनौती को खड़ा कर दिया। (पैरा 7.2)

- धातु और इस्पात निर्माणी ईसापुर द्वारा ट्रेड फर्म को अपने आर्डरों में उत्पाद उपज तथा उच्च प्रक्रिया हानि के प्रावधान का प्रयोग ब्रास की टिकान को ब्रास की छड़ में बदलने में किया, वह भी इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी एक ट्रेड फर्म उच्च उत्पाद उपज एवं न्यून प्रक्रिया हानि उपलब्ध करा रही थी, परिणामस्वरूप ₹ 3.32 करोड़ के ब्रास की छड़ की कम वसूली हुई थी और उसी सीमा तक ट्रेड फर्म को अनुचित लाभ पहुँचाया। (पैरा 7.9)
- उचित कारण जानने के उद्देश्य से कि मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने अपने व्यवसायिक हितों की उचित रूप से पूर्ति की, या नहीं, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के बीच की अवधि के दौरान कम्पनी में अधिप्राप्ति तथा सूची प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा किए जाने का निर्णय लिया। मुनाफे में आई गिरावट के विभिन्न कारणों के लिए किए गए हमारे विश्लेषण ने यह उजागर किया कि विभिन्न कारकों में से एक कारक जिसने अपना योगदान दिया वह था पूँजी पर पड़ने वाला उच्च सूची स्तर का प्रभाव कम्पनी द्वारा, विक्रेता समझौते, सी वी सी मार्गदर्शन तथा खरीद नियमपुस्तक से बिल्कुल अलग थे। अग्रिम अदायगी हेतु प्राप्त की गई बैंक गारन्टी की राशि सी वी सी मार्गदर्शन के अनुसार नहीं थी। अधिप्राप्ति से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रलेखन अपर्याप्त था। प्रणाली व्यवस्थाओं में सभी निविदाओं से संबंधित डेटा

की अनुपलब्धता के कारण विक्रेता प्रबंधन सुस्पष्ट नहीं था। विक्रेता सूची में द्विरावृत्ति थी, जो एस ए पी में पर्याप्त नियंत्रण की कमी को दर्शाती थी। अग्रिम असमायोजित रहे तथा प्रोफार्मा चालान के विरुद्ध की गई अदायगी का समावेश लंबित पीओएस आदि के विरुद्ध तदर्थ अदायगी अग्रिम के अंतर्गत निगरानी नहीं की जा सकी। स्टोर नियम पुस्तिका पिछले 23 वर्षों से उत्परिवर्तित नहीं की थी। अपर्याप्त सुरक्षा विशेषताओं के कारण, कम्पनी की एस आर एम प्रणाली ने विदेशी विक्रेताओं में विश्वास को खो दिया। एस एपी और एस आर एम के बीच समाकलन का कोई भी डेटा प्रदान नहीं किया गया था। (पैरा 8.1)

### 1.7 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संस्थापन में निरन्तर अनियमितता

2011-12 की रिपोर्ट संख्या 24 तथा 2012-13 की रिपोर्ट संख्या 16 में स्टाफ परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अनुसार परियोजना डेलिवरेबल्सो का वास्तविक रूप में न आने वाले मामलों को हाईलाईट किया गया है। तथापि, कोई विशिष्टतापूर्ण सुधार नहीं देखा गया जैसा कि अध्याय-VI में रिपोर्ट दिया गया है। इस संबंध में सुधारात्मक कदम तत्काल लेने की जरूरत है।

### 1.8 लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सभी मंत्रालयों को जून 1960 में लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों जो कि भारत के नियंत्रक महालेखापरिक्षक के प्रतिवेदन में रखने के लिए नामांकित किये गये हैं, पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजने के निर्देश दिये थे।

ड्राफ्ट पैराग्राफ, संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों का ध्यान लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर खींचते हुए एवं अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजने की प्रार्थना के साथ अग्रेषित कर दिया जाता है इसे उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है क्योंकि इन पैराग्राफों को भारत के नियंत्रक महालेखापरिक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो कि संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं, में शामिल किये जाने की संभावना होती है, अतः इस पर उनकी टिप्पणियों को शामिल करना वांछनीय होगा।

ड्राफ्ट पैराग्राफ जोकि इस प्रतिवेदन में रखने के लिए प्रस्तावित किये गये थे, जनवरी 2015 तथा जून 2015 के बीच संबंधित सचिवों को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित पत्रों द्वारा अग्रेषित किए गए थे।

रक्षा मंत्रालय ने अध्याय II से VIII तक के 33 पैरों में से 30 पैरों के उत्तर नहीं भेजे (सितम्बर 2015)।



## 1.9 पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किये गये सभी मामलों पर कार्यकारी अधिकारी की जवाबदेहिता लागू करने के लिए लोक लेखा समिति की इच्छा थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत प्रकार से जाँच करने के बाद संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाए।

सितम्बर 2015 तक थल सेना से संबंधित की गई कार्यवाही टिप्पणी की समीक्षा इंगित करती है कि मार्च 2013 को समाप्त वर्ष तक के 60 पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही टिप्पणी बकाया थी जिनमें से 20 पैराग्राफों के संबंध में मंत्रालय ने अभी तक प्रारम्भिक कार्यवाही टिप्पणी भी प्रस्तुत नहीं की थी एवं 14 (क्र. स. 1 से 14) में की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया है जैसाकि परिशिष्ट- I में दिखाया गया है।

## 1.10 वित्तीय पहलू तथा बजटीय प्रबंधन

### 1.10.1 भूमिका

रक्षा मंत्रालय के बजटीय आबंटन की आठ अनुदान मांगों के अधीन समाविष्ट है, जिसमें छः अनुदान रक्षा सेवाओं के अनुमानों (डी एस ई) के अधीन और दो सिविल अनुदानों के अधीन सम्मिलित है।

- दो सिविल अनुदान जिसमें माँग संख्या-20, रक्षा सेवाएं(सिविल) एवम् माँग संख्या-21- रक्षा सेवाएं पेंशन सम्मिलित हैं।
- रक्षा मंत्रालय के छः अनुदान जो निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं:-

माँग संख्या 22, रक्षा सेवा - सेना

माँग संख्या 23, रक्षा सेवाएँ - नौसेना

माँग संख्या 24, रक्षा सेवाएँ - वायुसेना

माँग संख्या 25, रक्षा आयुध निर्माणियाँ

माँग संख्या 26, रक्षा सेवाएँ - अनुसंधान एवं विकास(आर एण्ड डी)।

माँग संख्या 27 रक्षा सेवाओं पर पूँजी परिव्यय - इसमें रक्षा मंत्रालय (सिविल) के अनुदान हेतु मांगों के अंतर्गत आने वाली को छोड़कर सभी सेवाएं और विभाग समाविष्ट हैं।

- सीमा सड़क संगठन के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त अनुदानों को मोटे तौर पर राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- ❖ **राजस्व व्यय:** इसमें वेतन एवं भत्ते, परिवहन, राजस्व भंडार (जैसे आयुध भंडार, आयुध निर्माणियों से आपूर्तियां, राशन, पेट्रोल, तेल व स्नेहक, पुर्जे आदि), राजस्व निर्माण कार्य (जिसमें भवनों का रखरखाव, जल और विद्युत प्रभार, किराये, दर एवं कर आदि) पर किया गया व्यय तथा विविध व्यय शामिल है।
- ❖ **पूंजीगत व्यय:** इसमें भूमि, नए हथियार और गोलाबारूद का अधिग्रहण, सेवाओं का आधुनिकरण, निर्माण कार्य, संयंत्र एवं मशीनरी, उपस्कर, टैंक, नौसैनिक पोत, वायुयान और एयरो इंजन, गोदीबाड़े आदि पर किए गए व्यय आने हैं।

अनुदान के लिए विभिन्न मांगों के अंतर्गत सकल व्यय प्रावधान हेतु संसद<sup>5</sup> की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। छः मांगों, अर्थात् मांग संख्या 22 से 27 तक के लिए रक्षा सेवाओं पर किए गए शुद्ध व्यय तक पहुँचने हेतु सकल व्यय से प्राप्तियों एवं वसूलियों जिसमें अधिशेष /अप्रचलित भंडारों का विक्रय लाभ, राज्य सरकारों/ अन्य मंत्रालयों आदि को प्रदत्त सेवाओं के कारण प्राप्तियां जैसी मदें सम्मिलित हैं, तथा अन्य फुटकर मदों को घटाया जाता है। अनुदान संख्या 23 - रक्षा सेवाएँ नौसेना तथा अनुदान संख्या -24 रक्षा सेवाएँ वायुसेना के अलावा जिन्हें अलग रिपोर्ट में प्रकट किया गया है, का सारांश विश्लेषण नीचे दिया गया है।

### 1.10.2 अनुदान संख्या 20 तथा 21 सिविल अनुदानों से व्यय

#### 1.10.2.1 अनुदान सं. 20 - रक्षा मंत्रालय (सिविल) का व्यय

मांग संख्या 20 के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के लिए बजटीय प्रावधान तथा राजस्व और पूंजी गत व्यय समेत वास्तविक व्यय नीचे तालिका - 1 में दर्शाया गया है:

तालिका -1 बजटीय आबंटन तथा वास्तविक व्यय : रक्षा मंत्रालय (सिविल)

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
17,293.79	16,811.89	16,828.99

<sup>5</sup> रक्षा पर स्थायी समिति की रिपोर्ट संख्या 20 (2012-13 पंद्रहवीं लोक सभा)

वर्ष 2013-14 के लिए ₹15,732.60 करोड़ के सकल राजस्व व्यय के प्रमुख घटक कैन्टीन भंडार विभाग (सी एस डी) (₹12,290.22 करोड़), रक्षा लेखा विभाग (₹1,037.20 करोड़), तटरक्षक संगठन (सी जी ओ) (₹1,047.73 करोड़), रक्षा संपदा संगठन (डी ई ओ) (₹300.96 करोड़), जम्मू और कश्मीर लाइट इंफन्ट्री (जे एंड के एल आई) (₹837.27 करोड़) आदि है। संशोधित अनुमान 2013-14 में ₹1,096.39 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय में मुख्य आंबटन अन्य वित्तीय सेवाओं सीमाशुल्क विभाग (₹1,070.22 करोड़), गृह एवं कार्यालय भवन (₹23.94 करोड़) तथा सी एस डी द्वारा संचालित यूनिट कैन्टीनों (यू आर सी) के लिए विविध ऋण (₹0.62 करोड़) के लिए पूंजीगत परिव्यय हैं। इसके बाद ₹729.79 करोड़ की राशि को अंतिम भाग (27.03.2014) में सौंप दिया गया जोकि मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा 10 प्रतिशत की अनिर्वाय कटौती के कारण था।

#### 1.10.2.2 अनुदान संख्या 21- रक्षा पेंशन

रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत रक्षा पेंशन, पेंशन प्रभारों हेतु तीनों सेवाओं अर्थात् थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा असैनिक कर्मचारी सहित) तथा आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों आदि के संबंध में पेंशन प्रभारों का प्रावधान करता है। वह सेवा पेंशन, उपदान, परिवार पेंशन, विकलांगता पेंशन, पेंशन का परिणत मूल्य, छुट्टी का नकदीकरण आदि का भुगतान करता है।

इस अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के लिए बजटीय आंबटन और व्यय की स्थिति निम्नवत है:

#### तालिका - 2 बजटीय आंबटन तथा वास्तविक व्यय : रक्षा पेंशन

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
44,500.00	45,500.00	45,499.54

### 1.11 अनुदान संख्या 22 से 27 तक - रक्षा सेवाओं के अनुमान

#### 1.11.1 सरसरी दृष्टि से


2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए कुल रक्षा बजट (अनुदान संख्या 22 से 27), आंबटन और वास्तविक व्यय (दत्तमत और भारत) तालिका-3 एवं चार्ट- 1 में निम्नवत दर्शाया गया है:

**तालिका - 3 कुल रक्षा बजट आवंटन तथा वास्तविक व्यय**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट का प्रावधान	वास्तविक व्यय
2009-10	1,48,499.26	1,45,781.04
2010-11	1,56,126.83	1,58,723.20
2011-12	1,78,891.06	1,75,897.94
2012-13	1,98,525.90	1,87,469.00
2013-14	2,17,648.54	2,09,788.52

**चार्ट -1 बजट प्रावधान बनाम वास्तविक व्यय**




- वास्तविक रक्षा संबंधी आंकड़ा 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 43.91 प्रतिशत की कुल वृद्धि दर्शाता है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 में वृद्धि 11.91 प्रतिशत है।

**1.11.2 रक्षा सेवाओं में राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय**

2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए पूंजीगत और राजस्व व्यय (दत्तमत) नीचे चार्ट-2 में दर्शाया गया है:

**चार्ट-2 राजस्व व्यय बनाम पूंजी व्यय (दत्तमत)**



उपर्युक्त आंकड़ा दर्शाता है कि कुल रक्षा व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का अनुपात 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 35 से 39 प्रतिशत के बीच रहा है। तथापि, पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में व्यय की प्रतिशता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

### 1.12 थल सेना, आयुध निर्माणियां और अनुसंधान एवं विकास (पूँजीगत एवं राजस्व) से संबंधित व्यय (दत्तमत) का ब्यौरा - अनुदान संख्या 22,25,26, और 27<sup>6</sup>

2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी से संबंधित राजस्व और पूंजीगत व्यय को दर्शानेवाला व्यय (दत्तमत) का विस्तृत विश्लेषण नीचे तालिका- 4 में दर्शाया गया है:

तालिका-4 थल सेना, आयुध निर्माणियाँ एवं आर एवं डी के व्यय (दत्तमत)

(₹ करोड़ में)

अनुदानों का विवरण	व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
थल सेना	वास्तविक	77,512.29	80,789.82	86,776.05	94,274.06	1,021,38.70
	राजस्व	62,716.64 (80.91%)	65,001.96 (80.46%)	71,832.66 (82.78%)	79,516.95 (84.35 %)	87,720.08 (85.88%)
	पूँजीगत	14,795.65 (19.09 %)	15,787.86 (19.54%)	14,943.39 (17.22%)	14,757.11 (15.65%)	14,418.62 (14.12%)
आयुध निर्माणियाँ	वास्तविक	3,520.27	1,527.00	1,704.15	2,116.26	3,963.91
	राजस्व	3,279.98 (93.17%)	1,073.42 (70.30%)	1,427.94 (83.79%)	1,754.03 (82.88%)	3,498.57 (88.26%)
	पूँजीगत	240.29 (6.83%)	453.58 (29.70%)	276.21 (16.21%)	349.07 (16.60%)	465.34 (11.74%)
आर एंड डी	वास्तविक	8,507.87	1,0191.99	9,932.29	9,860.56	10,929.57
	राजस्व	4,355.57 (51.20%)	5,230.88 (51.32%)	5,321.24 (53.58%)	5,218.32 (52.92%)	5,696.25 (52.12%)
	पूँजीगत	4,152.30 (48.81%)	4,961.11 (48.68%)	4,611.05 (46.43%)	4,642.24 (47.08%)	5,233.32 (47.88%)

**टिप्पणी:-** कोष्ठक में दिए गए अंक राजस्व/पूँजीगत व्यय के वास्तविक व्यय की प्रतिशता के रूप में प्रस्तुत करता हैं।


<sup>6</sup> अनुदान संख्या 23- नौसेना एवं अनुदान संख्या- 24 वायुसेना- का विश्लेषण संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) वायु सेना एवं नौसेना के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित होता है।

- 2013-14 के दौरान थल सेना के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 8.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 2.29 प्रतिशत की कमी और राजस्व व्यय में 10.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2013-14 से दौरान आयुध निर्माणियों के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 87.31 की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 33.30 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व व्यय में 99.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2013-14 के दौरान आर एंड डी के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 10.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 12.73 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व व्यय में 9.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### 1.12.1 थल सेना, आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल व्यय की प्रवृत्ति-पूँजीगत और राजस्व

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में थल सेना आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल व्यय दोनों पूंजीगत और राजस्व की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-3 में दर्शायी गई है:

चार्ट-3 थल सेना, आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल पूंजीगत और राजस्व व्यय का विश्लेषण



- **थलसेना:** वर्ष 2013-14 में थल सेना के कुल व्यय के राजस्व घटक में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि 2009-10 में 81 प्रतिशत थी वह 2013-14 में 86 प्रतिशत हो गई, जबकि पूंजीगत घटक में उसी अवधि के दौरान 19 प्रतिशत (2009-10) से 14 प्रतिशत (2013-14) में तदनरूप कमी हुई है।
- **आयुध निर्माणिया:** वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान आयुध निर्माणियों के कुल वास्तविक व्यय के राजस्व घटक में 2009-10 में 93 प्रतिशत से 2013-14 में 88 प्रतिशत हुई जिससे 5 प्रतिशत की कमी आई जबकि पूंजीगत घटक में 7 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक अनुरूप प्रतिशता में वृद्धि हुई।
- **अनुसंधान एवं विकास:** आर एंड डी के राजस्व व्यय में 2009-10 से 2013-14 के दौरान 2009-10 में 51 प्रतिशत से 2013-14 में 52 प्रतिशत तक 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पूंजीगत व्यय में 49 प्रतिशत से 48 प्रतिशत की समरूपी प्रतिशता के रूप में कमी हुई।

### 1.13 राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति (दत्तमत)

#### 1.13.1 थल सेना (दत्तमत)


2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय थल सेना के छः लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत किया गया था, यथा नीचे तालिका- 5 और चार्ट- 4 में दर्शाया गया है:

तालिका-5 :- थल सेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-101 एवं 103)	भण्डार (लघु शीर्ष-110)	कार्य (लघु शीर्ष-111)	राष्ट्रीय राईफल्स (लघु शीर्ष-112)	असैनिकों के वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-104)	अन्य व्यय (लघु शीर्ष- 800)
2009-10	36,896.23	9,404.65	4,608.34	3,047.58	3,132.27	1,380.31
2010-11	35,445.39	12,144.48	5,308.35	3,098.71	3,051.42	1,475.79
2011-12	39,996.27	12,442.20	5,708.68	3,585.38	3,361.21	1,644.18
2012-13	46,057.23	12,749.70	5,768.73	4,076.22	3,673.96	1,638.63
2013-14	50,532.55	13,953.78	6,383.76	4,435.58	4,055.56	1,770.98

### चार्ट-4 थल सेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- छः लघु शीर्ष जिनका व्यय उच्चतम था जैसे सेना एवं सहायक बलों के वेतन एवं भत्ते, भण्डार, कार्य, राष्ट्रीय राईफल, असैनिकों के भुगतान एवं भत्ते और अन्य व्यय उनके व्यय में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं हुई हैं। उनके प्रतिशत 2009-10 से 2013-14 तक 36.96 प्रतिशत, 48.37 प्रतिशत, 38.53 प्रतिशत, 45.54 प्रतिशत, 29.48 प्रतिशत और 28.30 प्रतिशत क्रमानुसार थे।

#### 1.13.2 आयुध निर्माणियां (दत्तमत)

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय, आयुध निर्माणियाँ के छः लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे तालिका- 6 और चार्ट-5 में दर्शाया गया है:


#### तालिका-6 आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भंडार लघु शीर्ष 110	निर्माण लघु शीर्ष 054	अन्य व्यय लघु शीर्ष 800	नवीनीकरण एवं आरक्षित निधि (आर एवं आर) लघु शीर्ष- 797	नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन लघु शीर्ष- 106	परिवहन लघु शीर्ष - 105
2009-10	5,965.16	3,566.03	506.74	280.00	228.24	86.59
2010-11	5,704.96	3,499.75	582.66	600.00	207.82	110.73
2011-12	6,101.41	4,415.33	649.75	325.00	310.25	115.98
2012-13	5,691.76	4,335.73	767.68	350.00	415.85	135.01
2013-14	5,989.63	4,562.58	794.97	375.00	697.01	146.75



चार्ट- 5 आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 'नवीकरण एवं प्रतिस्थापन', 'परिवहन', 'अन्य व्यय', 'आर एवं आर पूँजी', उत्पादन एवं भण्डार जैसे लघु शीर्ष ने खर्च में क्रमानुसार 205.38 प्रतिशत, 69.47 प्रतिशत, 56.88 प्रतिशत, 33.93 प्रतिशत, 27.95 प्रतिशत, एवं 0.41 प्रतिशत, की बढ़ोतरी दर्शायी।

### 1.13.3 अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत)


2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय अनुसंधान एवं विकास के छः लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे तालिका-7 और चार्ट-6 में दर्शाया गया है:

तालिका- 7 अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भंडार लघु शीर्ष 110	असैनिको के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष- 102	आर एंड डी लघु शीर्ष- 004	निर्माण कार्य लघु शीर्ष- 111	सेवा कार्मिको के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष- 101	अन्य व्यय लघु शीर्ष - 800
2009-10	1,453.76	1,525.66	562.81	411.80	220.34	101.31
2010-11	1,665.91	1,409.71	1,218.25	492.17	201.61	144.02
2011-12	1,774.18	1,534.88	983.91	543.20	198.23	167.55
2012-13	1,870.19	1,694.22	516.97	621.39	226.38	163.43
2013-14	1,837.27	1,864.71	764.72	669.10	250.76	197.27

चार्ट-6 अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- लघु शीर्ष व्यय- 2009-10 से 2013-14 के दौरान 'अन्य व्यय', 'कार्य', 'अनुसंधान एवं विकास', भण्डार, वेतन एवं भत्ते-असैनिक एवं कर्मचारीगण के वेतन एवं भत्ते में क्रमशः 94.72 प्रतिशत, 62.48 प्रतिशत, 35.87 प्रतिशत, 26.38 प्रतिशत, 22.22 प्रतिशत एवं 13.81 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

#### 1.14 पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति - मुख्य शीर्ष- 4076 अनुदान संख्या- 27 रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

##### 1.14.1 पूँजीगत व्यय के घटक

इस अनुदान के अंतर्गत आठ उप मुख्य शीर्ष हैं, उप मुख्य शीर्ष- 01 थल सेना, उप मुख्य शीर्ष-02 नौसेना, उप मुख्य शीर्ष-03 वायु सेना, उप मुख्य शीर्ष-04, आयुध निर्माणियां, उप मुख्य शीर्ष 05- आर एंड डी, उप मुख्य शीर्ष-06 निरीक्षण संगठन, उप मुख्य शीर्ष-07 विशेष धातु एवं उत्तम मिश्रधातु परियोजनाएं तथा उप मुख्य शीर्ष-08 प्रौद्योगिकी विकास।

### 1.14.2 थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी के पूंजीगत व्यय (दत्तमत) की प्रवृत्ति का विश्लेषण

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी अर्थात् उप मुख्य शीर्ष -01, 04 और 05 के पूंजीगत व्यय का ब्यौरे नीचे तालिका- 8 में दर्शाए गए हैं:

तालिका- 8 कुल पूंजीगत व्यय (रक्षा सेवाएं) बनाम थल सेना, आयुध निर्माणियाँ और आर एण्ड डी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पूंजीगत व्यय	थल सेना का पूंजीगत व्यय	आयुध निर्माणियों का पूंजीगत व्यय	आर एंड डी का पूंजीगत व्यय
2009-10	51,019.42	14,795.65	240.29	4,152.30
2010-11	62,011.53	15,787.86	453.58	4,961.11
2011-12	67,843.96	14,943.39	276.21	4,611.05
2012-13	70,483.32	14,757.11	349.07	4,642.24
2013-14	79,092.91	14,418.62	465.34	5,233.32

- **रक्षा सेवाओं का कुल पूंजीगत व्यय:** 2009-10 से 2013-14 के दौरान रक्षा सेवाओं के कुल पूंजीगत व्यय में 55.02 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई है। परन्तु थल सेना के व्यय में इस अवधि के दौरान 2.55 प्रतिशत का घटाव दर्ज हुआ। इस की तुलना में आयुध निर्माणियाँ एवं आर एवं डी के पूंजीगत व्यय में घटकों के आधार पर 93.66 प्रतिशत एवं 26.03 प्रतिशत क्रमानुसार बढ़ोतरी हुई।
- **थल सेना का पूंजीगत व्यय:** रक्षा सेवाओं के कुल पूंजीगत व्यय के प्रति थल सेना के पूंजीगत व्यय घटक में 2009-10 में 29 प्रतिशत से 2013-14 में 18.23 प्रतिशत तक 11 प्रतिशत की कमी हुई। 2013-14 के दौरान रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय में 12.22 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद थल सेना के पूंजीगत व्यय में पूर्व के वर्ष की तुलना में 2.29 प्रतिशत की कमी हुई है।
- **आयुध निर्माणी का पूंजीगत व्यय:** 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान आयुध निर्माणी के पूंजीगत व्यय में कुल पूंजीगत व्यय के एक घटक के रूप में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। यह 2009-10 में कुल पूंजीगत व्यय के 0.47 प्रतिशत से 2013-14 में 0.59 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। पूर्व के

<sup>7</sup> एस एम एच - 02 तथा एस एम एच - 03 को संघ सरकार (रक्षा सेवाएं), वायुसेना तथा नौसेना की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अलग से विश्लेषित किया गया है। एस एम एच-06 तथा एस एम एच - 08 के संबंध में 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल व्यय क्रमशः 54.23 करोड़ तथा 139.11 करोड़ था। एस एम एच - 07 के संबंध में इन वर्षों के दौरान व्यय शून्य था।

वर्ष की तुलना में आयुध निर्माणी के पूंजीगत व्यय में 2013-14 में 33.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाई दी।

- **आर एंड डी का पूंजीगत व्यय:** कुल पूंजीगत व्यय तुलना में आर एंड डी के पूंजीगत व्यय में लगभग 2 प्रतिशत अर्थात् 8.14 प्रतिशत (2009-10) से 6.62 प्रतिशत (2013-14) की कमी दिखाई दी। पूर्व के वर्ष की तुलना में आर एंड डी का पूंजीगत व्यय 12.73 प्रतिशत बढ़ा है।

### 1.14.3 पूंजीगत व्यय (दत्तमत) में बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में 'बचत' और 'आधिक्य' की प्रवृत्ति नीचे तालिका - 9 में दर्शायी गई है:

तालिका-9 पूंजीगत व्यय में बचत/आधिक्य का प्रवृत्ति

वर्ष	कुल अनुदान (दत्तमत)	कुल व्यय	कुल पूंजीगत अनुदान के अधीन	
			बचत(-)	आधिक्य (+)
2009-10	54,779.62	51,019.42	3,760.20 (6.86%)	-
2010-11	60,776.21	62,011.52	-	1,235.31 (2.03 %)
2011-12	69,148.01	67,843.96	1,304.05 (1.89%)	-
2012-13	79,526.99	70,483.32	9,043.67 (11.37%)	-
2013-14	86,685.31	79,092.91	7,592.40 (8.76%)	-

**टिप्पणी:** कोष्ठकों में दिया हुआ अंक बचत (-)/ आधिक्य (+) को कुल अनुदान (दत्तमत) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत करता है।

- उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान वर्ष 2010-11 को छोड़कर लगातार 'बचत' हुई थी, जबकि 2.03 प्रतिशत का 'आधिक्य' था। इस अवधि के दौरान 'बचत' 11.37 प्रतिशत और 1.89 प्रतिशत के बीच रही है।
- वर्ष 2012-13 के दौरान हुई ₹9043.67 करोड़ (11.37 प्रतिशत) से वर्ष 2013-14 में ₹7592.40 करोड़ (8.76 प्रतिशत) की बचत में कमी देखी गई। तथापि बचत वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंतिम कार्य दिवस में समर्पण की गयी ₹7854.78 करोड़ (9.06 प्रतिशत) की राशि की निधि जो कि बचत से ज्यादा थी।

### 1.15 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डी पी एस यू) का वर्णन

रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नौ<sup>8</sup> रक्षा पी एस यू हैं। यह रक्षा पी एस यू दो अतिरिक्त शाखा के साथ प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, बैंगलूरु द्वारा लेखापरीक्षा किए जाते हैं।

- i) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलूरु (बी ई एल) भारत सरकार के साथ अधिकतम शेयर होल्डर (75.02 प्रतिशत) कंपनी के रूप में सूचिबद्ध हैं। यह प्रमुख रूप से भारतीय रक्षा सेवाओं के विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। बी ई एल को भारत सरकार की ओर से नवरत्न की उपाधि प्राप्त हुई है। इसकी एक अतिरिक्त शाखा है जो कि ओपट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे है। बी ई एल की भुगतान की हुई पूँजी, 31 मार्च 2014 को ₹80 करोड़ थी। बी ई एल का उत्पाद 2012-13 में ₹6103.53 करोड़ से बढ़कर 2013-14 ₹6275.52 करोड़ हो गया जोकि 3 प्रतिशत है।
  - बी ई एल ओपट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे (बी ई एल ओ पी) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (92.79 प्रतिशत शेयर होल्डर) की एक अतिरिक्त शाखा है। इसकी स्थापना, अनुसंधान, विकास एवं इमेज इनटेन्सीफायर ट्यूब को उत्पाद एवं सम्मिलित उच्च वोल्टेज पावर आपूर्ति इकाइयों के उत्पाद जो कि सेना, सुरक्षा एवं वाणिज्यिक प्रणाली में उपयोग होते हैं, के लिए हुई है। बी ई एल ओ पी की भुगतान की हुई पूँजी, 31 मार्च 2014 को ₹18.32 करोड़ थी। बी ई एल ओ पी का उत्पादन 2012-13 में ₹146.65 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹171.49 करोड़ हो गया जोकि 17 प्रतिशत हैं।
- ii) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी ई एम एल) बैंगलूरु भारत सरकार की सूची में एक अधिकतम शेयर होल्डर कंपनी (54.03 प्रतिशत) है कंपनी तीन प्रमुख व्यापारिक उदगर्ग जो कि खनन एवं निर्माणी, रक्षा एवं रेल और मेट्रो है। इसकी एक अतिरिक्त शाखा जो कि विग्नयान इंडस्ट्रीज लिमिटेड तारीकेरे है। बी ई एम एल की भुगतान की पूँजी 31 मार्च 2014 ₹41.77 करोड़ थी। बी ई एम एल का उत्पाद 2012-13 में ₹2808.91 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹2911.51 करोड़ जो कि 4 प्रतिशत था, हो गया।
  - विग्नयान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तारीकेरे (वी आई एल) बी ई एम एल लिमिटेड (95.56 प्रतिशत शेयर होल्डर) की अतिरिक्त शाखा है। यह

<sup>8</sup> चार पोतानिर्माणी (मझगाँव डॉक शिपविल्डस लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनीयर्स लिमिटेड, गोआ शिपयार्ड लिमिटेड एंड हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड) के रेखाचित्र एवं ए टी एन अवस्था और हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड को संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) वायु एवं नौसेना के सी एंड ए जी के प्रतिवेदन में समेटा गया है।

इकाई एक स्टील को ढालने की संघानशाला है जो कि अर्थ मूविंग मशीनों, वाल्वों, डाई-कास्टिंग मशीनों, रोपवे, मोटर-कार एवं रेलवे के लिए घटकों को मथने का कार्य करती है। वी आई एल की भुगतान की हुई पूँजी 31 मार्च 2014 को ₹2.79 करोड़ थी। इसका उत्पाद 2012-13 में ₹24.50 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹32.72 करोड़ हो गया जोकि 34 प्रतिशत हैं।

- iii) भारत डाइनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद (बी डी एल) एक पूरी तरह से भारत सरकार का उपक्रम है। यह गाइडिड वेपन सिस्टम के उत्पादन में लगा हुआ है। बी डी एल की भुगतान की गई पूँजी 31 मार्च 2014 ₹115.00 करोड़ थी। इसका उत्पादन 2012-13 में ₹1072.01 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹1774.05 करोड़ जो कि 65 प्रतिशत है, हो गया।
- iv) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद (मिधानी) एक पूर्ण रूप से भारत सरकार का उपक्रम है। वह उन्नत धातुओं व मिश्रधातुओं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक महत्व के उत्पादों की विस्तृत श्रेणी के विनिर्माण में लगा है। मिधानी की भुगतान की हुई पूँजी 31 मार्च 2014 को ₹187.34 करोड़ थी। इसका उत्पादन 2012-13 में ₹553.90 करोड़ से न्यूनतम रूप में बढ़कर 2013-14 में ₹554.62 करोड़ हो गया।